

16/7059/06-02-17

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-.....

पत्र संख्या -फार्म अनु0 -447 आ0घो0प0सं0-2016-17 / - 282 -

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(फार्म अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: २८ फरवरी:: 2017

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली -2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिशनर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मैं एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्रों, जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई है, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क्रम सं०	व्यापारियों का नाम व पता	फार्म की संख्या	आयात घोषणा पत्रों /ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं क्रमांक
1-	सर्वश्री श्याम लाल अनिल गोयल अतर 45-बाजार बजाजा मेरठ।	01	EE-1239603
2-	सर्वश्री बैजनाथ ब्रजमोहन एण्ड कम्पनी केसरगंज मेरठ।	16	F/HH-1584693, F/HH-1584694, F/HH-1584695, F/HH-1584696, F/HH-1584697, F/HH-1584698, F/HH-1584699, F/HH-1584700, F/HH-1584701, F/HH-1584702, F/HH-1584703, F/HH-1584704, F/HH-1584705, F/HH-1584706, F/HH-1584707, F/HH-1584708
3-	सर्वश्री चामुण्डा ट्रेडिंग कम्पनी गली बक्तावर हाथरस।	06	EE-1436610, EE-2234106, EE-2234107, EE-2234108, EE-2234109, EE-2234110
4-	सर्वश्री लाइफ केयर एजेन्सी, गंगा मार्केट, मिनर्वा चौरहा, झाँसी।	02	EE-0168143, EE-0168146
5-	सर्वश्री विष्णु गैस एजेन्सी 67 / 3 रोशनगंज दम्पामल नगर, फिरोजाबाद।	04	AA-7253390, AA-7253391, AA-7253392, AA-7253393
6-	सर्वश्री भारत मशीनरी एजेन्सी, नैनीताल रोड बरेली।	01	EE-1782907

7-	सर्वश्री बद्रीनाथ सूरी एण्ड संस कुतुबखाना बरेली।	01	CC-0174562
8-	सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड, 30प्र0 पावर ट्रान्स0कार्पो0 लि0 झाँसी।	01	DD-1812723

(डा० बुद्धेश मणि)
एडीशनल कमिशनर (विधि/वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू०प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में करने का कष्ट करें।
- 2- समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर / समस्त ज्वाइंट कमिशनर(कार्यपालक / वि०अनु०शा०)वाणिज्य कर 30प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छायाप्रति भिजवाने का कष्ट करें।
- 3- डिप्टी कमिशनर (30न्याय कार्य) इलाहाबाद लखनऊ।
- 4- समस्त डिप्टी कमिशनर (क०नि०) / असिस्टेंट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र सं० (विधि -2 सत्यापन) (85-86)-201/बिक्रीकर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं०-फार्म-31(91-92)-फार्म मुद्रण -865 / बिक्रीकर दिनांक 2-11-91 के अनुसार कार्यवाही /अनुपालन/किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- समस्त असिस्टेंट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी/ स०द०, वा० क० उत्तर प्रदेश।
- 6- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी।
- 7- विधि / मैनुअल / नई इकाई को पॉच पॉच प्रतियाँ।
- 8- सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- 9- पी०एस० जैन अधिवक्ता सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए -138 ए सेक्टर -27 नोएडा।
- 10- श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर० -15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- 11- श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद।
- 12- महालेखाकार (कार्मिशयल एवं रिसीट आडिट) यू०पी०, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 13- समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(अकील अहमद सिद्दीकी)
ज्वाइंट कमिशनर (फार्म)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।